

(संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं०

- a. परियोजना/ स्कीम का स्थान : यह परियोजना मैसर्स एस्सार ऑयल लि० नोएडा द्वारा ग्राम नूरपुर तहसील चाँदपुर जिला बिजनौर के खसरा संख्या 205/01 में पेट्रोल/डीजल पम्प के निर्माण से संबन्धित है, जो नूरपुर-धामपुर मार्ग के किमी० 30.336 की बायी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।
- (i) राज्य /संघभासित क्षेत्र : उत्तर प्रदेश
- (ii) जिला : बिजनौर
- (iii) वन प्रभाग : सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर-3090
- (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे०में) : 0.064318 हे०
ब. वि०, बिजनौर
- (v) वन की कानूनी स्थिति : वन भूमि (भूमि पर स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का है।)
- (vi) हरियाली का घनत्व : 0.10
- (vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि, श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिचाई /जलीय परियोजना के संबंध में एफ एल आर एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ० आर० एल०-4 मीटर भी संलग्न किया जाए। : किसी वृक्ष का पातन निहित नहीं किया जायेगा।
- (viii) भू-संरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर टिप्पणी। : सामान्य
- (ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी। : प्रस्तावित भूमि संरक्षित वन भूमि का भाग है।
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कैरिडोर आदि का भाग है। (यदि हां क्षेत्र का व्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाए) : लागू नहीं
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं। यदि हां तो तत्संबंधी व्योरा दें। : लागू नहीं
- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुनरावृत्तीय /पारम्परिक स्थल/सुरक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी व्योरा : लागू नहीं

समक्ष प्राधिकरण से अनापूर्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हों, दें।

8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम- 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं - तो जांचे गये विकल्पों के ब्योरो के साथ मदवार वस्तुतः क्षेत्र बया है। : हां
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां / नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि में दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्यों का ब्योरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। : नहीं
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्योरा :
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार। : 100 गृहों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण भू-खण्डों की संख्या-1
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण वनीकरण के अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र, आस पास के वन क्षेत्र और आस पास की सीमाओं का दर्शाता मैप। : संलग्न है।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण। कार्यान्वयन एंजेन्सी समय अनुसूचित लागत, ढाचां आदि। : संलग्न है।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिब्यय। : ₹0 102600.00
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में प्रबन्धीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।) : संलग्न है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)। : संलग्न है।
12. विभाग/जिला प्रोफाइल। :
- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र : 45,61,000.00 हेक्टेयर
- (ii) जिले का वन क्षेत्र : 47,815.69 हेक्टेयर
- (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र। : 49/8.354 हेक्टेयर
- (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण : 32.9279 हेक्टेयर
- (क) दण्ड के रूप में वनीकरण सहित वन भूमि : _____
- (ख) वनेतर भूमि परन : _____
- (v) तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति

(क) वन भूमि पर
(ख) वनेतर भूमि पर

32.9279 हेक्टैयर

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

तिथि :
स्थान : बिजनौर


प्रभागप्रिय निदेशक
सामाजिक वन विभाग,
बिजनौर
बिजनौर